(42)

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

I/निगरानी/जबलपुर/भू.रा/2018/1375

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी

मलखान पटेल पुत्र श्री प्यारेलाल पटेल, निवासी– नई बस्ती, सुभाष नगर बिलपुरा रांझी तहसील व जिला जबलपुर म.प्र.

.....आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1. अनुविभागीय अधिकारी रेवेन्यु जबलपुर म.प्र.
2. नायब तहसीलदार, वृत्त खेमरिया, तहसील जबलपुर जिला जबलपुर म.प्र.
3. लखन पुत्र श्री भजनलाल
4. कस्तूरी बाई पत्नी स्व. श्री भजनलाल
5. फूलचंद पुत्र श्री भजनलाल
6. हुकुम पुत्र श्री भजनलाल
7. बसंत पुत्र श्री भजनलाल
8. बन्डू पुत्र श्री भजनलाल
9. विमल पुत्र श्री भजनलाल
10. बुधिया बाई पत्नी सुखलाल
11. टिंकी अव्यस्क पुत्र श्री सुखलाल द्वारा सरपरस्त बुधिया बाई पत्नी सुखलाल
12. मुनिया अव्यस्क पुत्र श्री सुखलाल द्वारा सरपरस्त बुधिया बाई पत्नी सुखलाल

.....अनावेदकगण / प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर, संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2017, प्रकरण कमांक 352/A-6/2009–10 द्वितीय अपील, (मलखान पटेल बनाम अनविभागीय अधिकारी व अन्य) अंतर्गत धारा 110 म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 से व्यथित होकर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक- एक/निग0/जबलपुर/भू0रा0/2018/1375

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-3-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव एवं अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित । उभयपक्षों को ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया । 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश को देखने से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को दिनांक 30-1-13 को उनकी अनुपस्थिति में निरस्त किया गया था । अनुपस्थिति में पारित उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पुर्नस्थापन आवेदन पेश किया गया जो न्यायालय द्वारा दिनांक 12-11-13 को निरस्त किया जा चुका था । पुन: आवेदक द्वारा पुर्नस्थापना आवेदन पेश किया गया जिसे अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है क्योंकि एक बार पुर्नस्थापन आवेदन दिनांक 12-11-13 को निरस्त होने के उपरांत उसी न्यायालय में आवेदन करना विधिसम्मत नहीं है । आवेदक को 12-11-13 को पारित आदेश को निरस्त हुए आवेदन को चुनौती देना चाहिए था परंतु उनके द्वारा ऐसा न करते हुए पुन: उसी न्यायालय में आवेदन देना विधिसम्मत नहीं है। दर्शित परिस्थिति में अपर आयुक्त ने उनके आवेदन को निरस्त करने में कोई न्यायिक त्रुटि नहीं है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं होने से अग्राह्य की जाती है । प्रशा0 सदस्य	